17/5/18 आज यह पत्रावली न्याय अधिकारी की उपस्थिति में सुनवाई पेश हुई। प्रार्थिनी की ओर से पत्रावली आज डिक्री करने की श्री जा चुकी है ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न प्रकार डिक्री जारी की जाती है एवं पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त किये जाते हैं। फैसला सुनाया। मामले में कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है। मामले को समाप्त घोषित किया जाता है।

अति.

सरजीत